न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- रजनी माधीवाल (आर.ए.एस.)

मूल वाद संख्याः-81/2024

निर्णय दिनांकः-15.05.2025

1. श्री कान्तिलाल पुत्र स्व. परताप, जाति सरगड़ा, आयु वयस्क, निवासी श्री राम मंदिर के पास, राजतलाब बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
2. श्री मांगीलाल पुत्र स्व. परताप जाति सरगड़ा, आयु वयस्क, निवासी श्री राम मंदिर के पास, राजतलाब बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
3. श्री मोती पत्नी स्व. प्रताप, जाति सरगड़ा, आयु वयस्क, निवासी श्री राम मंदिर के पास, राजतलाब बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
4. श्री रमेशचन्द्र पुत्र स्व. परताप जाति सरगड़ा, आयु वयस्क, निवासी श्री राम मंदिर के पास, राजतलाब बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
5. शंकरलाल पुत्र स्व. परताप जाति सरगड़ा, आयु वयस्क, निवासी श्री राम मंदिर के पास, राजतलाब बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा। प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा ।
2. चिराग बुनकर पिता देवीलाल बुनकर जाति बुनकर उम्र वयस्क निवासी बुनकर बस्ती तलवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा।
3. स्व. जसवन्त कुमार पिता बाबुलाल डबगर के वारिसान
   - 3.1 श्रीमती शान्ता बेन पत्नी स्व. जसवन्त कुमार आयु वयस्क निवासी सांवरिया कपड़े की दुकान सुभाष नगर कॉलेज रोड बांसवाड़ा।
   - 3.2 श्री अनिल पिता स्व. जसवन्त कुमार आयु वयस्क निवासी सांवरिया कपड़े की दुकान सुभाष नगर कॉलेज रोड बांसवाड़ा।
   - 3.3 श्री मनोज पिता स्व. जसवन्त कुमार आयु वयस्क निवासी सांवरिया कपड़े की दुकान सुभाष नगर कॉलेज रोड बांसवाड़ा।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार पिता स्व. जसवन्त कुमार आयु वयस्क निवासी सांवरिया कपड़े की दुकान सुभाष नगर कॉलेज रोड बांसवाड़ा। अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

-: निर्णय :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदार की कृषि भूमि खाता संख्या 429 नया, 1027 पुराना के खसरा नम्बर 3593/1840, 3594/1694, 3595/1589, 3595/1694 कुल खसरा नंग 4 कुल रकबा 0.5826 हैक्टेयर, वाके अगरपुरा, राजस्व ग्राम बांसवाड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित हैं। जो कि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। जिसमें प्रत्येक प्रार्थी का 1/5, व 1/5 हक , हित व हिस्सा निहित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले रहे है। प्रार्थीगण ग्राम बांसवाड़ा में उनके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 3590/1840 रकबा 0.1780 हैक्टेयर की सीमाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण प्रार्थीगण इसकी सुरक्षा व तारबन्दी करने में समस्या उत्पन्न हो रही

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

है। उक्त प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की सीमा तथा पड़ौसी खसरा की सीमा एवं ग्राम की स्पष्ट जानकारी नहीं होने से प्रार्थीगण अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि का समुचित व्यवस्था, बाढ लगाये जाने व तारबन्दी करने में समस्या हो रही है। प्रार्थीगण की भूमि व पड़ौसी खसरा सहित ग्राम की स्थायी सीमाऐं कायम करा लेना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है। अन्यथा भविष्य में कई प्रकार के विवाद होने की संभावना असमय बनी रहती है तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि का विकास कार्य भी करना चाहते है। प्रार्थीगण के उक्त स्वामित्व व आधिपत्य की खसरा नम्बर 3590/1840, रकबा 0.1780 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर कायम करने व स्थायी रुप से तारबन्दी व परकोटा करने में सहायक होगी ओर भविष्य में विवाद होने की संभावना भी नहीं रहेगी और प्रार्थीगण को उक्त भूमि की सुरक्षा करने में सहयोग होगी। प्रार्थीगण की उक्त भूमि एवं पड़ौसी खसरा की भूमि के मध्य निश्चित सीमा अंकित हो जाने पर भविष्य में विवाद होने की संभावना भी नहीं रहेगी। प्रार्थीगण की और से पूर्व में तहसीलदार महोदय तहसील बांसवाड़ा को सीमा का ज्ञान कराने व पत्थरगढ़ी कराने हेतु दिनांक 11.06.2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार राजस्व टीम पटवारी व गिरदावर ने मौके पर निरीक्षण किया था और पत्थरगढ़ी कराने हेतु श्रीमान् को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था इस कारण यह प्रार्थना-पत्र आप श्रीमान् को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बांसवाड़ा का कृषि भूमि खसरा संख्या 3590/1840 रकबा 0.1780 हैक्टेयर भूमि की सीमा का स्थायी रुप से अंकन कराकर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी पेश की जाने पर पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अप्रार्थी 2 व 4 की और जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपस्थित होकर पत्रावली तलब करने हेतु व संशोधित शीर्षक पेश किया। पत्रावली तलब कर पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 429 नया, 1027 पुराना के खसरा नम्बर 3590/1840 रकबा 0.1780 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। जो प्रार्थीगण्ण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड से पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार बांसवाड़ा को राशि नियमानुसार फीस मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं विवादित आराजीयात के पडौसी काश्तकार को सूचित करते हुए उनकी मौजुदगी में आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त कर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो बिना किसी के कब्जाकाश्त में परिवर्तन किये, रिकार्ड अनुसार पत्थरगढ़ी कर स्थाई सीमा चिन्ह लगाये जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें एवं साथ ही यदि मौके पर रिकार्डेड रास्ता हो तो रास्ता छोड़ कर पत्थरगढ़ी की जावें। कमीश्नर फीस राशि नियमानुसार प्रार्थीगण से वसुल करें। उक्तानुसार तहसीलदार बांसवाड़ा को तहरीर जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 15.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया हैं।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner